सं. 2/1/2014-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: किराया मुक्त आवास के बदले में मुआवजा दिया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 14.03.2008 के का. ज्ञा. सं. 2(7)/1997-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय), के दिनांक 28.04.2011 के का. ज्ञा. सं. 18011/1/2009.पोल.III और 21.11.2013 के का. ज्ञा. सं. 18011/1/2013-पोल.III के तहत देश भर में केन्द्र सरकार के अधीन रिहायशी आवासों की लाइसेंस फीस की दरों में क्रमश: 01.07.2010 से और 01.07.2013 से संशोधन के परिणामस्वरूप, किराया मुक्त आवास, जहां तक इसका संबंध लाइसेंस फीस के घटक से है, के बदले में क्षतिपूर्ति की राशि में संशोधन का मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है।

2. मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) के दिनांक 02.08.60 के का. ज्ञा. सं. 12/11/60-एसीसी-I के अनुसार किराया मुक्त आवास की सुविधा के हकदार हैं और जिन्हें ऐसा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, किराया मुक्त आवास के बदले में निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे:-

i) भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) के दिनांक 28.04.2011 और 21.11.2013 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार दिनांक 01.07.2010 और 01.07.2013 से यथा निर्धारित आवास की पात्र टाइप के लिए लाइसेंस फीस के रूप में प्रभारित न्यूनतम राशि; और

ii) इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 2(13)/2008-ई.II(बी) के अनुसार किसी वर्गीकृत शहर में तदनुरूप कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया भत्ता।

3. ये आदेश संपदा निदेशालय के दिनांक 28.04.2011 और 21.11.2013 अर्थात् वे तरीखें जिनसे लाइसेंस फीस की एकसमान दरें संशोधित की गई थीं, के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापनों के संदर्भ में क्रमश: दिनांक 01.07.2010 और 01.07.2013 से प्रभावी हैं।

4. इस मंत्रालय के दिनांक 19.02.87, 22.05.87 और 04.05.88 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11015/4/86-ई.II(बी) में निर्धारित अन्य सभी शर्तें इन आदेशों के तहत किराया मुक्त आवास के बदले में क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय लागू रहेंगी।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

२१/२/१४

(ए. भट्टाचार्य)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।